न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर।
अपीलः–13/2019 (जीसीएमएस नं. 2019/00044)

1. मोहरी देवी बेवा श्रीकिशन, जाति जाट, निवासी ग्राम ग्वारजाटान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. संतोष पुत्री श्रीकिशन, पत्नी रामचन्द्र जाति जाट, निवासी ग्राम दहमीकलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. विमला पुत्री श्रीकिशन, पत्नी राजेन्द्र, जाति जाट, निवासी ग्राम कडवा का बास, पोस्ट गाडोता, तहसील दूदू, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. धापू देवी बेवा रामचन्द्र,
2. रामनिवास पुत्र रामचन्द्र, जाति जाट, निवासी ग्राम ग्वार जाटान, पोस्ट दादिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. रामप्यारी पुत्री रामचन्द्र पत्नी रामप्रसाद, जाति जाट, निवासी ग्राम बदनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. मथूरा पुत्री रामचन्द्र पत्नी हजारीलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम बदनपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

5. ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र, जाति जाट निवासी ग्राम ग्वार जाटान, तहसील सांगानेर, जिलो जयपुर।
6. ग्राम पंचायत दादिया जरिये सरपंच पंचायत समिति, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 24.02.2021

अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.01.2019 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर के समक्ष नामान्तरकरण संख्या 23 दिनांक 12.06.1965 के विरूद्ध दिनांक 01.05.2018 को लगभग 43 वर्ष की लम्बी अवधि पश्चात् प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत की गई तथा अपीलार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व धारा 96 जाप्ता दीवानी का विस्तृत जवाब भी प्रस्तुत किया गया एवं दोनों पक्षों की लिखित बहस लेने के पश्चात् प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए नामान्तरकरण संख्या 23 को बिना किसी कारण के निरस्त करते हुऐ तहसीलदार सांगानेर को प्रतिप्रेषित किया है, जो आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.01.2019 पत्रावली पर मौजूदा तथ्यों विधि के स्पष्ट प्रावधनों के विपरित एवं अधिकार क्षेत्र का गलत उपयोग कर पारित किया गया है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना धारा 5 मियाद अधिनियम का बिन्दु पर रखे गये विधिक प्रावधानों की विवेचना किये बिना ही बिना कोई कारण अपील को अन्दर मियाद मानने में भारी विधिक त्रुटि कारित की है जहॉ तक कि उन्होने अपील को अन्दर मियाद मानने को कोई कारण अपने आदेश में अंकित नही किया है तथा विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि यदि न्यायालय के समक्ष अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है तो सर्वप्रथम मियाद के प्रश्न पर निर्णय के बाद ही अपील को गुणावगुण पर सुना जा सकता है, इस सम्बन्ध में अपीलार्थी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के उद्धरण भी प्रस्तुत किये थे जिसका अवलोकन एवं विवेचन किये बिना प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ गुणावगुण पर भी अपील को निर्णित करने में अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी भारी त्रुटि कारित की गई है एवं अपीलार्थी के इस विधिक अधिकार से उसे वंचित करने के अपने अधिकार क्षेत्र का गलत इस्तेमाल किया गया है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के हकपूर्वाधिकारी रामचन्द्र नामान्तरकरण संख्या 23 दिनांक 12.06.1965 के तस्दीक होने के बाद 13 वर्ष तक जीवित रहा तथा उसके अपने जीवनकाल में कभी भी नामान्तरकरण को चुनौती अपील या वाद के द्वारा नही दी गई है। ऐसी दशा में जब उसके जीवनकाल में ही मियाद समाप्त हो चुकी है तो उसके वारिसान को नये सिरे से अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नही हो सकता और ना ही मियाद का लाभ ले सकते है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इन कानूनी तर्क पर ना तो अपने विचार लिखे, ना ही निर्णय पारित किया, बिना किसी कारण के अपील को स्वीकार करने में विधिक त्रटि तो की ही है बल्कि अधिकार क्षेत्र का भी गलत इस्तेमाल किया गया है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट के हकपूर्वाअधिकारी रामचन्द्र का स्वभाव हमेशा ही उग्र रहा है और उसकी अपने पिता से नही बनती थी इसलिये उसके पिता मांगीलाल से उसके हिस्से की भूमि उसके नाम कर दी जो भूमि मांगीलाल के नाम शेष रही उसमें से उसे अन्य पुत्र श्रीकिशन का ही भाग है इसलिये नामान्तरकरण जैर अपील के माध्यम से मांगीलाल की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 23 रेस्पोडेन्ट के हकपूर्वाधिकारी रामचन्द्र की उपस्थिति में और उसकी सहमति से ग्राम पंचायत की मीटिंग में सर्व सहमति से श्रीकिशन के नाम अंकित हुआ है जिससे रेस्पोडेन्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही था। अतः अपील अपीलार्थीया स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.01.2019 को निरस्त फरमाया जावें एवं नामान्तरकरण जैर अपील संख्या 23 दिनांक 12.06.1965 को यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुऐ कथन किया है कि नामान्तरकरण आराजी में श्रीकिशन का निषक था जो अपीलान्ट 1 ला 3 में निहित हो गया, सजरा के अनुसार मोटा के लडके

मांगीलाल के दो पुत्र रामचन्द्र व श्रीकिशन हुये, इनमें रामचन्द्र का स्वर्गवास 1978 में को हो गया प्रश्नाधीन नामान्तरकरण में विवाद मांगीलाल पुत्र मोटा को लेकर ही है। सजरा के अनुसार रामचन्द्र के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ला 4 व दत्तक पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ओमप्रकाश श्रीकिशन के वारिसान अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 3 हुये। मांगीलाल का पुत्र ओमप्रकाश को श्रीकिशन पुत्र मांगीलाल पुत्र के परिवार के सदस्योगणों की रजामन्दी/स्वीकृति से गोद ले लिया यानी ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र श्रीकिशन का दत्तक पुत्र हो गया श्रीकिशन पुत्र मांगीलाल पढा लिखा व समझदार एवं राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण वरवक्त प्रश्नाधीन नामान्तरकरण तस्दीक के समय ग्राम पंचायत सरपंच थे, उस समय रामचन्द्र पुत्र मांगीलाल जीवित व मौजूद था और उसके हिस्से का नामान्तरकरण श्रीकिशन ने दिनांक 12.06.1965 को बिना कोरम के बिना किसी सहमति के अपने नाम तस्दीक कर लिया, यानी रामचन्द्र पुत्र मांगीलाल के हिस्से की भूमि उसके जीवित रहते श्रीकिशन ने अपने पद सरपंच का दुरूपयोग कर अपने नाम लगा ली जबकि रामचन्द्र का सन् 1978 में स्वर्गवास हुआ है, 1965 से 2017 तक यानी श्रीकिशन के जीवित रहने तक पुरे परिवार में दबदबा श्रीकिशन ने बना रखा था, इस कारण बैजा प्रश्नाधीन नामान्तरकरण दिनांक 12.06.1965 की जानकारी रेस्पोडेन्ट्स को अथवा रामचन्द्र को नहीं होने दी गइ, श्रीकिशन पुत्र मांगीलाल के स्वर्गवास होने पर जब नामान्तरकरण की कार्यवाही के सिलसिले में चर्चा हुई और रेस्पोडेन्टान 1 लगायत 4 ने अपने हिस्से की चर्चा करी तो कहा सुनी के दौरान पता चला कि रामचन्द्र के हिस्से का नामान्तरकरण तो श्रीकिशन ने जालसाजी से दिनांक 12.06.1965 को ही उसकी रजामन्दी बताकार अपने नाम तस्दीक कर लिया है जबकि रामचन्द्र ने कोई सहमति नहीं दी थी, न सहमति के हस्ताक्षर नामान्तरकरण पंजिका की पृष्ठ पर किये थे। रामचन्द्र के भाई श्रीकिशन पुत्र मांगीलाल ग्राम पंचायत दादीया के सरपंच 1965 से 1990 तक रहे है, इनका इतना दबदबा था कि पूरी पंचायत में ये जो करते थे या कोई इन्द्राज कर देते थे या कोई आदेश कर देते थे तो उसके खिलाफ शिकायत करने व बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। प्रश्नाधीन प्रकरण में रामचन्द्र का हिस्सा सरपंच भ्राता श्रीकिशन को अपने लगाने का कोई आधार व अधिकार नहीं था और न कानूनन प्रश्नाधीन नामान्तरकरण के जरिये रामचन्द्र के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि श्रीकिशन के हिस्से में मुंतकिल नहीं हो सकती थी। प्रश्नाधीन गलत व अवैध व कानुन की दृष्टि से खोटा व नियम विरूद्ध है मूलतः अवैध है। ऐसे नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील पेश करने के लिये मियाद अधिनियम दफा 5 के तहत मियाद का कोई प्रश्न आड़े नहीं आता है अवैध व आधारहीन तथा अधिकारहीन आदेशों के विरूद्ध जब कभी भी पता चले तो इसे दुरूस्त व निरस्त करवाने की कार्यवाही की जा सकती है। प्रथम अपीलीय न्यायालय में रेस्पोडेन्ट 1 ला 4 ने अपील एवं दफा 5 कानुन मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं धारा 96 सी.पी.सी. पेश इजाजत अपील पेश की थी, अपील मीमों एवं सलंग्न दफा 5 कानुन मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. में उल्लेखित वास्तविक तथ्यों तथा मियाद प्रार्थना पत्र के उल्लेख के आधार पर रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 4 का पक्ष बिल्कुल साफ तौर पर उसके पक्ष में स्पष्ट होता है और प्रश्नाधीन नामान्तरकरण बिल्कुल अवैध आधारहीन अधिकारविहीन खौटा या

फर्जकारी से किया हुआ जीवित व्यक्ति के हक हिस्से का नामान्तरकरण सरपंच भ्राता श्रीकिशन के हक में गलत होना पाया गया है जो कि स्पष्ट रूप से निरस्त किये जाने योग्य था। जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 08.01.2019 से निरस्त किया है जो सही है। जिसके विरूद्ध अपीलान्टान को मौजूदा अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। मौजूदा अपील रिमाण्ड आदेश के विरूद्ध पेश अपील खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न नामान्तरकरण संख्या 23 वाके ग्राम गवार जाटान की छाया प्रति के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार मांगीलाल के देहान्त होने पर पटवारी हल्का द्वारा खातेदार के दो पुत्रों के नाम नामान्तरकरण भरकर पेश किया गया जिस नामान्तरकरण को तत्कालीन सरपंच एवं अपीलान्ट के पूर्वज श्रीकिशन द्वारा स्वयं के नाम तस्दीक किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। यदपि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि पर रामचन्द्र के हस्ताक्षर है और रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि पर रामचन्द्र के हस्ताक्षर नही है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण तहसीलदार सांगानेर को रिमाण्ड किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.01.2019 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0समित शर्मा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर